

कमॉक:-एफ-8(सा0प्र0)अकाद/आकाशि/2018/ 481

दिनांक :- 03 दिसम्बर 2019

समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।


विषय:-मैटल हैल्थ काउंसलिंग सेन्टर स्थापित करने बाबत ।

संदर्भ:-स्टेट नोडल ऑफिसर (एनएमएचपी) डिस्ट्रिक काउंसलिंग सेन्टर का ड्राफ्ट नोट
दिनांक 21.11.2019 ।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि छात्र छात्राओं के सम्पूर्ण मानसिक विकास के लिये महाविद्यालय स्तर पर एक मैटल हैल्थ काउंसलिंग सेन्टर स्थापित किया जाना है, जिससे कि छात्र छात्राओं के अध्ययन के दौरान मानसिक तनाव को कम किया जा सके। इस कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालित करने के लिये निम्नलिखित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें :-

1. राजकीय महाविद्यालयों में मैटल हैल्थ डिस्ट्रिक काउंसलिंग सेन्टर खोले जायें एवं महाविद्यालय द्वारा इसके लिये स्थान भी उपलब्ध करवाया जायेगा ।
2. इस सेन्टर में मनोवैज्ञानिक, नर्सों की भी सहायता ली जायेगी ।
3. छात्र छात्राओं का प्रशिक्षण के दौरान संवेदीकरण किया जायेगा ।
4. उच्च शिक्षा विभाग पर कोई वित्तीय प्रभार नहीं आयेगा । पूरा वित्तीय प्रभार - एनएमएचपी द्वारा ही वहन किया जायेगा ।
5. इस कार्य के लिये महाविद्यालय स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो कि इस कार्यक्रम की प्रभावी मॉनिटरिंग करेगा ।
6. इस कार्यक्रम में महाविद्यालय द्वारा दो छात्र एवं दो छात्राओं को सहयोग देने हेतु नामांकित किया जायेगा ।

गठन - इस कार्यक्रम के सफल संचालन एवं क्रियान्विति के लिये जिला स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाना है । प्रत्येक महाविद्यालय के दो छात्र एवं दो छात्राएं नामित की जानी है ।



(प्रदीप कुमार बोरड़)


आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं
विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा
राजस्थान, जयपुर ।

दिनांक :- 03 दिसम्बर 2019

कमॉक:-एफ-8(सा0प्र0)अकाद/आकाशि/2018/ 481-485

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव महोदया, उच्च शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
2. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर ।
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को अपलोड करने के क्रम में प्रेषित है ।
5. आरक्षी पत्रावली ।



संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर ।